

**न्यायालय जिला कलक्टर अजमेर, जिला अजमेर**  
**रसद प्रार्थना पत्र संख्या 42/2019**

राजस्थान सरकार जरिये श्री अब्दुल सादिक, प्रवर्तन अधिकारी, अजमेर।

.....प्रार्थी

**बनाम**

मैसर्स टम्मू टेंट हाउस, लाखन कोटडी, दरगाह बाजार, अजमेर जरिये श्री कालू साहू पुत्र  
श्री भागचन्द, निवासी- अजमेर

.....अप्रार्थी

**प्रार्थनापत्र अर्न्तगत धारा 6 ए आवश्यक वस्तु अधिनियम**

उपस्थित: श्रीमती रेणुका चतुर्वेदी, प्रवर्तन अधिकारी, अजमेर – पैरोकार सरकार

**आदेश**

दिनांक 23.07.2019

संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि दिनांक 28.02.2019 को जिला रसद अधिकारी अजमेर (प्रथम) के निर्देशानुसार घरेलू गैस सिलेण्डर के अवैध रूप से व्यावसायिक दुरुपयोग/घरेलू सिलेण्डर के अवैध रूप से गैस रिफिलिंग को रोकने के अभियान के तहत प्रार्थी मय संयुक्त जांच दल द्वारा अप्रार्थी के व्यवसाय स्थल की जांच करने पर अप्रार्थी द्वारा अपने व्यवसाय स्थल पर एल.पी.जी. गैस सिलेण्डर द्वारा का व्यावसायिक दुरुपयोग करते पाये जाने पर अप्रार्थी के व्यवसायिक स्थल से एक अप्रमाणित गैस सिलेण्डर

S.NO.	S.R.NO.	CO.	T.W.	G.W.	N.W.GAS	TYPE
1	अंकित नहीं	अंकित नहीं	-	-	-	अप्रमाणित सिलेण्डर

को कब्जेराज लिया गया। एल.पी.जी. गैस सिलेण्डर का व्यावसायिक कार्य में दुरुपयोग एल.पी.जी. (रेग्युलेशन ऑफ सप्लाय एण्ड डिस्ट्रीब्यूशन) आदेश 2000 के खण्ड 6 का उल्लंघन है। अतः आठ अप्रमाणित छोटे गैस सिलेण्डर को राजहित में कब्जेराज लेकर मौके पर मैसर्स ख्वाजा गैस ऐजेन्सी, अजमेर के कार्मिक श्री जितेन्द्र कुमार पुत्र श्री जग्गुलाल जी, निवासी:- भांग बावडी, आशागंज, अजमेर को सुपुर्दगी में दिया गया। प्रार्थी द्वारा आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत जब्तशुदा अप्रमाणित छोटे गैस सिलेण्डर को राजसात करने हेतु यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। अप्रार्थी जरिये अभिभाषक उपस्थित आये। जवाब नोटिस प्रस्तुत किया। सुनवाई चाहने पर उपस्थित को सुना गया।

पैरोकार सरकार ने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दौहराते हुए कथन किया कि दिनांक 28.02.2019 को जांच दौरान अप्रार्थी द्वारा अपने व्यवसाय स्थल पर एल.पी.जी. गैस



सिलेण्डर का व्यवसायिक दुरुपयोग किया जाना पाया गया। एल.पी.जी. गैस सिलेण्डर का व्यवसायिक दुरुपयोग एल.पी.जी. आदेश 2000 के खण्ड 6 का उल्लंघन है, जो आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 3/7 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध हैं। अतः कब्जेराज लिये गये आठ अप्रमाणित छोटे गैस सिलेण्डर को राजसात फरमाया जावे।

जवाब में अप्रार्थी का कथन है कि उक्त एल.पी.जी. गैस सिलेण्डर से उसका कोई सरोकार नहीं है और न ही वे कभी उसकी सम्पत्ति रहे है। अतः अप्रार्थी के विरुद्ध दर्ज प्रकरण को खारिज फरमाया जावे।

हमने बहस पर मनन किया तथा पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया। अप्रार्थी द्वारा जवाब में ऐसे कोई आधारभूत कथन, दस्तावेजी साक्ष्य सबूत के दर्ज नहीं किये गये है, जो प्रार्थना पत्र कथनो का खण्डन करते। वक्त जांच उनके द्वारा एल.पी.जी. गैस सिलेण्डर का व्यवसायिक उपयोग अपने व्यवसाय स्थल पर किया जाना पाया गया है। इससे उपरोक्त अवैद्य कृत्य अप्रार्थी का स्वतः ही साबित है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है तथा कब्जेराज लिये गये आठ अप्रमाणित छोटे गैस सिलेण्डर को आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 6ए के तहत राजसात किया जाता है। चूकिं उक्त सिलेण्डर को संबन्धित कम्पनी अमानत राशि लेकर नये उपभोक्ताओं को जारी करेगी। अतः पूर्व में जमा अमानत राशि राजकोष में जमा करवाई जावे।

आदेश मेरे द्वारा लिखवाया जाकर आज दिनांक 23.07.2019 को सरे इजलास सुनाया गया।



*V. Sharma*  
(विश्व मोहन शर्मा)  
जिला कलेक्टर  
अजमेर